प्रेषक,

राधा रतूड़ी
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, डॉ0 आर0एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास/आबकारी/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले/परिवहन/श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, ग्रामोत्थान/जायका/जलागम परियोजना, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कृषि एवं कृषक कल्याण/उद्यान/शहरी विकास/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/खेल/जलागम/कोषागार पेंशन एंव हकदारी/पशुपालन/कौशल विकास एवं प्रशिक्षण/पंचायतीराज/प्राविधिक शिक्षा/मत्स्य/युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल विकास निगम/उत्तराखण्ड वन विकास निगम/उत्तराखण्उ पॉवर कॉ0लि0/उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम/उत्तराखण्ड परिवहन निगम/सिडकुल/पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम/ब्रिडकुल, उत्तराखण्ड।
8. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, सिंचाई/लघु सिंचाई/लोक निर्माण/ग्रामीण निर्माण/पी.एम.जी.एस.वाई. (ग्राम्य विकास) विभाग, उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 **देहरादून दिनांक** 30 **अक्टूबर 2024**

विषयः राज्य के अम्ब्रेला ब्रान्ड 'House of Himalayas' के उत्पाद क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया जैसा कि आपको विदित है मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की महिला कृषकों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और ग्रामीण उद्य मियों द्वारा बनाये गये उत्पादों को एकल ब्रान्ड के अन्तर्गत लाये जाने हेतु अम्ब्रेला ब्रान्ड के रूप में '**House of Himalayas**' ब्रान्ड का उद्‌घाटन किया गया है।

मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, मा0 मंत्रीगण एवं अन्य महानुभावों द्वारा भी House of Himalayas के उत्पाद क्रय किये जाने पर जोर दिया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रान्ड के अन्तर्गत गुणवत्ता एवं शुद्धता के साथ प्रमाणिक उत्पाद ई–कॉमर्स पोर्टल www.houseofhimalayas.com पोर्टल पर Single Product/Gift Boxes के रूप में उपलब्ध है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/बैठकों/समारोहों/मुख्य त्यौहारों (दीपावली, होली आदि) के अवसरों पर House of Himalayas के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने का कष्ट करें, जिससे राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय किसानों/उद्यमियों की आजीविका एवं आर्थिकी में सुधार हो सके और राज्य का अम्ब्रेला ब्रान्ड भी सशक्त हो सके।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव

क्रमशः.....2

<u>**संख्या एवं दिनांकः–तदैव।**</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव/कृषि एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. परियोजना निदेशक, यू.जी.वी.एस.–ग्रामोत्थान/प्रबन्ध निदेशक, हाउस ऑफ हिमालयाज, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
सचिव